उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या-31/2024/1202/60-1099/381/2023

लखनऊः दिनांक 19 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2019 के नियम-87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक चयन समिति का गठन करते हैं, जिसमें नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित सदस्य होंगेः-

अनुसूची

(एक)	श्री सुनीत कुमार, माननीय न्यायाधीश, (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय इलाहाबाद	अध्यक्ष
(दो)	निदेशक, महिला कल्याण,उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव पदेन
(तीन)	सुश्री रेनू मिश्रा,एसोसिएशन फॉर एडकोकेसी एण्ड लीगल इनिशिएटिव्ज ट्रस्ट (आली), लखनऊ,प्रतिनिधि, एन0जी0ओ0 लखनऊ	सदस्य
(चार)	श्री संदीप खरे, विज्ञान फाउण्डेशन, लखनऊ, प्रतिनिधि,एन0जी0ओ0 लखनऊ	सदस्य
(पांच)	डॉ0 रश्मिरानी, मनोविज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर प्रतिनिधि, विद्या निकाय/विश्वविद्यालय	सदस्य
(छः)	प्रोफेसर आर0 के0 सिंह, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, विद्या निकाय/विश्वविद्यालय	सदस्य
(सात)	डा0 देवेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	सदस्य

2- पूर्वोक्त समिति का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

आज्ञा से,

(लीना जौहरी)

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-31/2024/1202(1)/60-1099/381/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री सुनीत कुमार, मा0 अध्यक्ष, चयन समिति।
4. चयन समिति के मा0 सदस्यगण।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी/ जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे आगामी राजपत्र में प्रकाशित करते हुए इस अधिसूचना की 100 प्रतियां महिला कल्याण अनुभाग-1, बापू भवन, द्वितीय तल, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ तथा 200 प्रतियां निदेशक, महिला कल्याण, 8वां तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।